R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड IX ◆ अंक 8
फरवरी 2013

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

पुनर्रचित अग्रिमों पर प्रकटीकरण अपेक्षाएं

अग्रिमों की पुनर्रचना पर मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल (डब्ल्यूजी) (अध्यक्ष: श्री बि. महापात्रा) ने अनुशंसा की थी कि यदि एक बार पुनर्रचित अग्रिमों (जिन्हें शुरुआत ही से अथवा अनर्जक परिसंपत्तियों की श्रेणी से उच्च श्रेणी में उन्नयन के कारण मानक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है) पर उच्चतर प्रावधान एवं जोखिम भार (यदि लागू हो) निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के कारण वापस सामान्य स्तर पर आ जाते हैं, तो ऐसे अग्रिमों के संबंध में बैंकों से अब यह अपेक्षित नहीं रह जाएगा कि वे उन्हें अपने वार्षिक तुलन-पत्र में "खातों के संबंध में टिप्पणियां" में पुनर्रचित खातों के रूप में प्रकट करें। तथापि, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा ऐसे पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में आयी कमी के लिए प्रावधान करना जारी रखा जाना चाहिए। कार्यदल ने यह सिफारिश भी की है कि बैंकों से निम्नलिखित प्रकटीकरण की अपेक्षा की जाए:

- ऐसे मानक पुनर्रचित खातों को छोड़कर, जिन पर (यदि लागू हो) उच्चतर प्रावधान और जोखिम भार लागू होना समाप्त हो जाता है, संचयी आधार पर पुनर्रचित खातों के ब्यौरे;
- विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्रचित खातों पर किए गए प्रावधान; और
- पुनर्रचित खातों की घट-बढ़ के ब्यौरे।

रिज़र्व बैंक ने इस अनुशंसा को इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार किया है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी बहियों में वार्षिक आधार पर सभी पुनर्रचित खातों का संचयी आधार पर प्रकटीकरण करें; हालांकि उनमें से कई खाते ऐसे होंगे जिन्होंने बाद में काफी लंबी अवधि तक संतोषजनक प्रदर्शन किया होगा। ऐसे में प्रकटीकरणों की वर्तमान स्थिति इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखती है कि इनमें से कई खातों में अंतर्निहित कमजोरियां लुप्त हो गई हैं तथा खाते वास्तव में सभी प्रकार से मानक हैं, लेकिन उन्हें तब भी पुनर्रचित अग्रिमों के रूप में प्रकट किया जाना जारी रहता है।

तद्नुसार, बैंक आगे से अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्र में 'खातों के संबंध में टिप्पणियां' के अंतर्गत, पुनर्रचित अग्रिमों की संख्या और राशि के बारे में, तथा पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में आई कमी की राशि के बारे में प्रकटीकरण करें।

उपर्युक्त प्रकटीकरण अपेक्षाएं वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रभावी होंगी।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 09 फरवरी 2013 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.00 प्रतिशत कर दिया गया। स्थानीय क्षेत्र के बैंक भी 08 फरवरी 2013 तक अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 3.00 प्रतिशत तथा 09 फरवरी 2013 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.00 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखेंगे।

रिपो दरें

चलनिधि समायोजन सुविधा (एमएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 29 जनवरी 2013 से 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए उसे 8.00 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत किया गया। रिपो दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रिपो दर तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) 29 जनवरी 2013 से क्रमश: 6.75 प्रतिशत और 8.75 प्रतिशत पर अपने आप समायोजित हो गई।

स्थायी चलनिधि सुविधाएं

बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त और विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) 29 जनवरी 2013 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 7.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
पुनर्रचित अग्रिमों पर प्रकटीकरण अपेक्षाएं	1
आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया	1
रिपो दरें	1
स्थायी चलनिधि सुविधाएं	1
प्राथमिक व्यापारी	2
ब्याज दर स्वैप संविदाएं	2
टियर II पूंजी प्राप्त करने के लिए गौण ऋण का खुदरा निर्गम	2
शाखा बैंकिंग	
रुपया मीयादी जमाराशियाँ	2
स्वर्ण जमा योजना	3
भुगतान प्रणाली	
एनईएफटी - क्रेडिट मैसेज	3
फेमा	
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता / डायमंड डॉलर खाता / निवासी विदेशी मुद्रा घरेलू खाता	3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश	3
सूचना	
वित्तीय साक्षरता सामग्री	4
मौद्रिक नीति 2012-13 की तीसरी तिमाही समीक्षा	4

प्राथमिक व्यापारी

कार्पोरेट बॉण्ड बाजार में भूमिका

कार्पोरेट ऋण बाज़ार में स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका को बढ़ाने की दृष्टि से प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को निम्नलिखित अनुमति देने का निर्णय लिया गया है कि :

- मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार उधार के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति में निवल स्वाधिकृत निधियों के 225 प्रतिशत की समग्र अनुमत औसत पाक्षिक सीमा के भीतर कार्पोरेट बांडों में निवेश के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत की उप सीमा के लिए अनुमति दी जाए।
- अन्य प्राथमिक व्यापारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टियर II बाँडों में प्राथमिक व्यापारियों की कुल पूँजी निधियों में निवेश के 10 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने के लिए अनुमति देना।
- अंतर-कार्पोरेट जमाराशियों के माध्यम से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति में निवल स्वाधिकृत राशियों के 15 प्रतिशत की सीमा तक उधार लेने के लिए अनुमति दी जाए।

कार्पोरेट बॉण्ड में लेनदेन

भारत में ऋण बाजार को और विकसित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि स्टैण्डअलोन प्राथमिक व्यापारियों(पीडी) को कार्पोरेट बॉण्ड में स्वामित्व लेनदेन शुरू करने के प्रयोजन हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अनुमोदित शेयर बाजारों का सदस्य बनने की अनुमति दी जाए। ऐसा करते समय स्टैण्डअलोन प्राथमिक व्यापारियों को सेबी द्वारा निर्धारित सभी विनियामक मानदंडों और शेयर बाजारों के सभी पात्रता मानदंडों/ नियमों का अनुपालन करना होगा।

ब्याज दर स्वैप संविदाएं

कारोबारी स्वरूप को उन्नत बनाने तथा भविष्य में ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) संविदाओं के केंद्रीकृत समाशोधन और निपटान को सुविधा प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ब्याज दर स्वैप संविदाओं का मानकीकरण किया जाए।

ब्याज दर स्वैप संविदाओं का मानकीकरण न्यूनतम सांकेतिक मूलधन राशि, अवधि, कारोबारी घंटे, निपटान गणना आदि के अनुसार प्राप्त किया जाएगा जो बाजार सहभागियों के परामर्श से निर्धारित आय और मुद्रा बाजार व्युत्पन्न संघ (फिम्डा) द्वारा निर्धारित होगा। शुरुआत में मानकीकरण आईएनआर मुंबई मांग दर अंतर बैंक (माइबोर) - ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप संविदा (ओआइएस) के लिए अधिदेशात्मक होगा। मानकीकरण अपेक्षा ग्राहक कारोबारों के अलावा सभी आईआरएस संविदाओं के लिए अनिवार्य होगी।

1 अप्रैल 2013 से संपादित सभी नई आईएनआर माइबोर-ओआईएस संविदाएं मानकीकृत होंगी।

टियर II पूंजी प्राप्त करने के लिए गौण ऋण का खुदरा निर्गम

परिवर्द्धित खुदरा सहभागिता के माध्यम से भारत में कार्पोरेट बॉण्ड बाजार को और सघन बनाने की दृष्टि से टियर II पूंजी प्राप्त करने के लिए गौण ऋण का निर्गम करते समय बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे खुदरा निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ऐसी निधियां प्राप्त करने पर विचार करें। तथापि, बैंकों को सूचित किया गया है कि ऐसा करते समय वे रिज़र्व बैंक के 13 जनवरी 2010 के परिपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवेशक विनियामक पूंजी लिखतों की जोखिम विशिष्टताओं से अवगत हैं।

शाखा बैंकिंग

रुपया मीयादी जमाराशियाँ

रिज़र्व बैंक ने रुपया मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों और उनके अवधिपूर्ण आहरण पर अपने अनुदेशों की समीक्षा की है और बैंकों को सूचित किया है कि -

ब्याज दरें

उसी परिपक्वता अवधि की जमाराशियों के लिए विभेदक ब्याज दरें प्रस्तावित करने की अनुमति अब 1 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की बल्क जमाराशियों के लिए लागू होगा। 1 करोड़ रुपये से कम की समान परिपक्वता अवधियों वाली जमाराशियों पर समान दर लागू होगा। रुपया मीयादी जमाराशियों में घरेलू मीयादी जमाराशियों के साथ-साथ अनिवासी साधारण (एनआरओ) तथा अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों के अंतर्गत आने वाली मीयादी जमाराशियां शामिल होंगी। बैंकों को उन जमाराशियों सहित, जिन पर विभेदक ब्याज दर देय होगी, विभिन्न जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची पहले से प्रकट करनी चाहिए। बैंक द्वारा दी गयी ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा उन्हें जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।

पहले, बैंकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने विवेक से समान परिपक्वता अवधि वाली 15 लाख रुपए तथा उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों पर, कुछ शर्तों के अधीन, विभेदक ब्याज दरें दे सकते हैं।

अवधिपूर्व आहरण

बैंक अपने विवेक से व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों की जमाराशियों समेत सभी जमाकर्ताओं की 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मीयादी जमाराशियों के संबंध में 'बल्क जमाराशियों' के अवधिपूर्व आहरण की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। तथापि, बैंक को अवधिपूर्व आहरण से इनकार करने की अपनी नीति की सूचना ऐसे जमाकर्ताओं को पहले ही, अर्थात् ऐसे जमा स्वीकार करते समय ही, दे देनी चाहिए। बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर 1 करोड़ रुपये से कम के रुपया मीयादी जमाराशि के आहरण की अनुमति, जमाराशि रखते समय जितनी अवधि की सहमति हुई थी उस अवधि के समाप्त होने के पहले देगा। मीयादी जमाराशि अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण के लिए अपनी स्वयं की दंडात्मक ब्याज दर निश्चित करने की बैंक को स्वतंत्रता होगी। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाकर्ताओं को जमा दरों के साथ-साथ लागू दंडात्मक दरों के बारे में सूचित किया गया है।

पहले, बैंकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा कराते समय सहमत जमा अवधि के पूर्ण होने से पहले मीयादी जमाराशि के आहरण की अनुमति दे सकते हैं। बैंक अपने विवेक से व्यक्तियों और हिंदू अविभक्त परिवारों को छोड़कर संस्थाओं द्वारा धारित बड़ी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण को मना कर सकते हैं।

बल्क जमाराशियां

अब से 1 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की एकल रुपया मीयादी जमाराशियों के लिए 'बल्क डिपाजिट' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

पहले, 15 लाख की जमाराशियों या बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित अन्य उच्चतर सीमा को ''थोक जमाराशियों'' का नाम दिया गया था। ''बल्क जमाराशि'' शब्द को विनिमेयता के साथ थोक जमाराशियों के साथ प्रयोग किया जाता था और कभी-कभी आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, यद्यपि इसे विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया।

ये संशोधित दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2013 से लागू होंगे।

स्वर्ण जमा योजना

रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को अपनी स्वयं की स्वर्ण जमा योजनाएं तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु स्वर्ण जमा योजना के दिशानिर्देश बनाए थे।

स्वर्ण जमा योजना के परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक के दिनांक 5 अक्टूबर 1999 के परिपत्र के साथ दिशानिर्देशों को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

(i) स्वर्ण प्रमाण-पत्र का आशय योजना के उपभोक्ता द्वारा स्वर्ण जमा कराने के बाद डीमैट या अन्य किसी रूप में जारी अंतिम रसीद से होगा। जैसा कि अब तक होता रहा है, स्वर्ण जमा प्रमाण-पत्र को पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकेगा। तथापि, डिमैट रूप में जारी प्रमाण-पत्रों के मामले में, अंतरण के लिए निक्षेपागार नियम लागू होंगे।

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित और निर्दिष्ट बैंक के लिए स्वीकृत प्रमाण पत्र के साथ प्रति हजार पर 995.0 भागों की उत्कृष्टता वाले लंदन बुलियन बाजार संघ (एलबीएमए) के अच्छे सुपुर्दगी मानदंडों का अनुपालन करने वाले म्यूचअल फंडों/स्वर्ण विनिमय ट्रेडेड फंडों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक स्वर्ण के लिए अग्नि परख/विनाशकारी परख की छूट दी जाएगी।

(iii) सेबी (म्यूचअल फंड) विनियामवली के तहत पंजीकृत म्यूचअल फंडों/विनिमय ट्रेडेड फंडों सहित न्यास इस योजना में जमा करा सकता है।

(iv) यह निर्णय लिया गया है कि छह महीनों से सात वर्षों की अवधि वाले स्वर्ण जमाओं की परिपक्वता अवधि में परिवर्तन किया जाए।

(v) प्राधिकृत बैंकों को योजना शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, बैंक योजना को परिचालित करने वाली शाखाओं के नामों सहित योजना के ब्यौरों के बारे में रिज़र्व बैंक को सूचित करें। बैंकों के लिए मासिक आधार पर समेकित तरीके में योजना के तहत सभी शाखाओं द्वारा जुटाए गए स्वर्ण की रिपोर्ट देना आवश्यक होगा।

समय-समय पर यथासंशोधित, अन्य दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

भुगतान प्रणाली

एनईएफटी - क्रेडिट मैसेज

यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में क्रेडिट मैसेजों को निरंतर रूप से जारी करने की सुविधा 9 मार्च 2013 से लागू की जाए । राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र, मुंबई में एनईएफटी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन 08 मार्च, 2013 को दिन की समाप्ति पर लागू किया जाएगा। एसएफ़एमएस/एनईएफ़टी सेटअप में बैंक द्वारा अपेक्षित किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा यथा समय सभी सदस्य बैंकों को सूचित कर दिया जाएगा।

क्रेडिट मैसेजों को निरंतर जारी करने की सुविधा इस उद्देश्य से लागू की गई है कि लाभग्राही/गंतव्य बैंकों को एनईएफटी लेनदेनों के आवकों का प्रसंस्करण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके जिससे प्रणाली में लेनदेनों की बढ़ती मात्रा का अधिक कुशलतापूर्वक निपटान किया जा सकेगा। इसके अलावा इस सुविधा के माध्यम से दो बैचों के निपटान के बीच पूरे एक घंटे के समय में मैसेजों को जारी करने के माध्यम से नेटवर्क संसाधनों और प्रसंस्करण क्षमता के इष्टतम उपयोग की संभावना व्यक्त की गई है।

बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे स्वयं की ओर से होने वाले उच्च मूल्य के लेनदेनों और अपने निपटान खातों में निधि की उपलब्धता की निगरानी सावधानीपूर्वक करें। जैसा कि एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि प्रवर्तक बैंक द्वारा भेजे गए मैसेज अप्रतिसंहरणीय होते हैं।

फेमा

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता / डायमंड डॉलर खाता / निवासी विदेशी मुद्रा घरेलू खाता

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सभी विदेशी मुद्रा अर्जकों को अपने विदेशी मुद्रा अर्जन की राशि भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी खाता) में कतिपय शर्तों के तहत रखने की अनुमति दी गयी है।

खाताधारकों और प्राधिकृत व्यापारी बैंको द्वारा महसूस की जा रही परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए, युक्तिकरण के उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाए, 'कि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता धारकों को आगे से विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में उपलब्ध शेष राशियों का पूर्णतः उपयोग किए जाने के बाद ही विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी'।

उक्त अनुदेश निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) (घरेलू) और डायमंड डॉलर खातों पर भी लागू होंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऋण कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाये जाने वाले उचित व्यवहार संहिता पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नयी श्रेणी यथा एनबीएफसी-एमएफआई के सृजन तथा स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में तीव्र वृद्धि को भी देखते हुए दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी है।

अन्य बातों के साथ-साथ इन दिशानिर्देशों से यह भी अपेक्षित है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के निदेशक बोर्ड को संस्था के भीतर समुचित शिकायत निवारण व्यवस्था निर्धारित करनी चाहिए ताकि कम्पनी और इसके ग्राहकों के बीच विवादों का समाधान हो सके तथा उक्त व्यवस्था यह सुनिश्चित करे कि ऋणदाता संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के निर्णय से उत्पन्न सभी विवादों की सुनवाई की जाती है तथा अगले उच्चतर स्तर पर उनका निपटान किया जाता है।

परिचालनात्मक स्तर पर सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से यह अपेक्षित है कि वे प्रमुखता के साथ अपने ग्राहकों के लाभ के लिए अपनी शाखाओं/उन स्थानों पर जहां कारोबार किया जाता है, अपनी कम्पनी से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के ब्यौरे के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के उस स्थानीय कार्यालय का ब्यौरा भी प्रदर्शित करें।

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-जीपीओ में प्रेषित Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

सूचना

वित्तीय साक्षरता सामग्री

रिज़र्व बैंक ने एक व्यापक वित्तीय साक्षरता निदेश पुस्तिका तैयार की है जिसमें प्रशिक्षकों के लिए मार्गदर्शक टिप्पणी, वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश और वित्तीय साक्षरता सामग्री के साथ एक वित्तीय डायरी तथा 16 पोस्टरों का एक सेट शामिल हैं। शुरुआत में समस्त सामग्री अंग्रेजी और हिंदी में तैयार की गई है। यथा समय इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता निदेशावली में परिचालनात्मक दिशानिर्देश शामिल हैं जिनमें स्पष्ट रूप से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के तौर-तरीकों का वर्णन किया गया हैं ताकि इसे वित्तीय पहुंच उपलब्ध कराने के साथ क्रियाशील किया जा सके और इस प्रकार वित्तीय रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग प्रणाली से जोडा जा सके। वित्तीय साक्षरता सामग्री का उद्देश्य वित्तीय जागरूकता के सृजन में सहायता करना तथा आम जनता को धन के प्रबंध, बचत के महत्व, बैंकों के साथ बचत के लाभ, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाएं तथा बैंकों से उधार के लाभ पर शिक्षित किया जा सके। यह निदेशावली वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन में शामिल प्रशिक्षकों के लिए सुलभ सहायता सामग्री है।

वित्तीय डायरी लक्ष्य श्रोताओं के बीच इस उद्देश्य के साथ वितरण के लिए तैयार की गई है कि वे बेहतर वित्तीय आयोजना और खर्च करने के तरीके की समझ के साथ अपनी आय और व्यय का रिकार्ड रखने में समर्थ बन सकें।

वित्तीय साक्षरता शिविरों के पूर्व, उसके दौरान और उसके बाद सरल और आकर्षक नारों वाले पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं जो चित्र के साथ धन के प्रबंध, बचत, उधार और मौलिक बैंकिंग उत्पाद का संदेश देते हैं।

वंचित रहने की सीमा को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए जरूरी है कि वे अप्रयुक्त कारोबारी अवसरों को शामिल करने के द्वारा वित्तीय समावेशन को एक सक्षम कारोबारी प्रतिदर्श बनाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ मिशन के रूप में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करें। ऊपर यथावर्णित उद्देश्यों के अनुसार, यह आवश्यक है कि वे बैंकिंग प्रणाली से वंचित वर्ग को सहबद्ध करने में वित्तीय साक्षरता प्रयासों की प्रभावक्षमता का मूल्यांकन करें। राज्य स्तरीय बैंकर समिति/जिला परामर्शदात्री समिति अपने अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए प्रयासों की अपनी बैठकों में कार्यसूची की एक नियमित मद के रूप में समीक्षा करेंगी। संपर्क ब्योरे के साथ वित्तीय साक्षरता केंद्रों के ब्योरे संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। उसी प्रकार, बैंकों के प्रधान कार्यालय अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए वित्तीय साक्षरता प्रयासों की प्रभावक्षमता की समीक्षा करेंगे। वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं दोनों के लिए एक संरचित निगरानी व्यवस्था शीघ्र लागू की जाएगी।

मुख्य प्रबंध निदेशकों सहित बैंकों के शीर्ष प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि सभी ग्रामीण शाखाएं और वित्तीय साक्षरता केंद्र वर्ष की शुरुआत में वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन के लिए एक कैलेण्डर तैयार करें। वे अपने आउटरीच दौरों के दौरान ग्रामीण शाखाओं और वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा आयोजित कुछ वित्तीय साक्षरता शिविरों में भाग लेते हुए वित्तीय साक्षरता अभियान का व्यापक प्रचार करें। वित्तीय साक्षरता शिविरों के दौरान वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों वाले लक्ष्य श्रोताओं तक संदेशों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की मौलिक अवधारणात्मक समझ प्रदान करने के लिए एक मानक पाठ्यक्रम के रूप में वित्तीय साक्षरता निदेशावली का उपयोग करें। वे वित्तीय साक्षरता शिविरों में उपयोग के लिए इस निदेशावली की विषय-वस्तु को नाटकों, प्रहसनों, वीडियो और फिल्मों आदि में परिवर्तित करने पर भी विचार कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो वे सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने पूर्व में 6 जून 2012 को वित्तीय साक्षरता केंद्रों पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किया था जिसमें यह सूचित किया गया था कि वित्तीय साक्षरता केंद्रों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी ग्रामीण शाखाएं दो अनिवार्यताओं यथा 'वित्तीय साक्षरता' और आसान 'वित्तीय पहुंच' के प्रावधान द्वारा वित्तीय समावेशन को सुविधा प्रदान करने के लिए महीने में कम-से-कम एक बार कार्यस्थल से दूर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को बढ़ाएं।

मौद्रिक नीति 2012-13 की तीसरी तिमाही समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी सुब्बाराव ने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में 29 जनवरी 2013 को वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। इस समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

अनुमान

- वर्ष 2012-13 के लिए जीडीपी वृद्धि के बेसलाइन अनुमान में संशोधन करते हुए उसे 5.8 प्रतिशत से कम करके 5.5. प्रतिशत किया गया है।
- मार्च 2013 के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को संशोधित करते हुए इसे 7.5 प्रतिशत से कम करके 6.8 प्रतिशत किया गया है।
- वर्ष 2012-13 के लिए एम3 वृद्धि 13 प्रतिशत पर अनुमानित है।

रूझान

- जैसे ही मुद्रास्फीति जोखिम सुधरते हैं, वृद्धि की सहायता के लिए समुचित ब्याज दर वातावरण उपलब्ध कराना;
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर काबू पाना; और
- अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि प्रबंधन जारी रखना।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 8.75 प्रतिशत पर समायोजित की गई।
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.25 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत किया गया।
- रिपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 8.0 प्रतिशत से घटाकर 7.75 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर रिपो दर से 100 आधार अंक कम के अंतर से निर्धारित करके 6.75 प्रतिशत पर समायोजित हो गई।
- रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक के अंतर से निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 8.75 प्रतिशत पर समायोजित हो गई है।

अपेक्षित परिणाम

नीतिगत कार्रवाइयों और मार्गदर्शन से निम्नालिखित परिणाम होंगे:

- निवेश के प्रोत्साहन से वृद्धि को समर्थन मिलेगा;
- कम और स्थिर मुद्रास्फीति के प्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता के आधार पर मध्यावधि की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं नियंत्रित करना जारी रहेगा; और
- ऋण प्रवाह में सहायता के लिए चलनिधि में सुधार होगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।